34

न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनूं

पीठासीन अधिकारी : उमरदीन खान,
आई.ए.एस.

प्रा0प0 संख्या: 42/2021

राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं।

–प्रार्थी

बनाम

श्री महेन्द्र सिंह उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम इकतावरपुरा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तुअधिनियम 1955 के तहत जप्तशुदा 2444 किलोग्राम गेहूं मय वारदाना को राजसात करने बाबत।

उपस्थित : –

1. श्री रामावतार, विभागीय प्रतिनिधि – प्रार्थी की ओरसे।
2. श्रीउम्मेदराज सैनी, एडवोकेट – अप्रार्थी की ओर से।

आदेश

दिनांकः– 26.07.2021

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विद्वान जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं की ओर से प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रा0प0 के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी प्रर्वतन निरीक्षक चिडावा के पद पर पदस्थापित है जो लोकसेवक की श्रेणी में आता है। दिनांक 07.03.2021 को उचित मूल्य दुकानदार श्री महेन्द्र सिंह इकतावरपुरा तहसील चिडावा का प्राधिकार पत्र संख्या 347/93, पोस मशीन संख्या 10824 का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। वक्त जांच उचित मूल्य दुकान पर श्री नरेश सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह शेखावत उचित मूल्य दुकानदार इकतावरपुरा का संधारण करते पाया गया जिसने स्वयं अपनी उपस्थिति में जांच करवाई। वक्त जांच उचित मूल्य दुकान के बाहर स्टॉक व मूल्य सूची का प्रदर्शन करना नही पाया गया। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा स्टॉक रजिस्टर दिनांक 0[illegible]21 तक ही संघारण करना पाया गया जिसके कारण स्टॉक की गणना उचित मूल्य दुकान की पोस मशीन संख्या 10824 में दर्ज स्टॉक के आधार पर की गई। वक्त जांच पोस मशीन संख्या 10824 मे गेहू स्टेट योजना के 32 किलोग्राम, गेहूं अतिरिक्त योजना के 674 किलोग्राम, गेहूं बीपीएल योजना के 527 किलोग्राम एवं गेहूं एपीएल योजना के 5973 किलो ग्राम दर्ज पाये गये। इस प्रकार वक्त जांच उचित मूल्य दुकान पर गेहूं का कुल स्टॉक 7206 किलो ग्राम दर्ज पाया गया। वक्त जांच भौतिक सत्यापन में गेहूं के भारतीय खादय निगम की छापवाले 193 कट्टो में वजन करने पर कुल 9650 किलोग्राम गेहूं भौतिक रूप से पाई गई जो वांछित स्टॉक से 2444 किलोग्राम अधिक पाई गई। जिसके बारे में पूछने पर श्री नरेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.08.18 10:43:49 IST
Reason: SelfAttested

सिंह द्वारा कोई संतोषजनक जबाब नही दिया गया। बिन्दू संख्या 1 से 6 के तथ्यों के आधार पर मौके पर वांछित स्टॉक से अधिक पाये गये 2444 किलोग्राम गेहूं मय वारदाना के स्टॉक को राजहित मे जब्त कर सुपुर्दगी नजदीकी उचित मूल्य दुकानदार श्री जयनारायण सिंह केहरपुरा तहसील चिडावा को दी गई ताकि उचित मूल्य दुकानदार द्वारा कालाबाजारी न की जा सके। इस प्रकार उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उचित मूल्य दुकानदार द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के तहत प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2, 5, 8, 11 एवं 17 (ग) का स्पष्ट उल्लघंन किया है। अतः उपर्युक्त 2444 किलोग्राम गेहूं मय वारदाना को आवश्यक वस्तुअधिनियम 1955 की धारा 6ए के अन्तर्गत राजसात करने का कष्ट करें। चूंकि गेहूं एक जल्दी खराब होने वाली खाद्य सामग्री है अतः उक्त गेहूं का अंतरिम आदेश जारी करने का भी कष्ट करें।

बहस सुनी गयी। विभागीय पैरोकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि दिनांक 07.03.2021 को उचित मूल्य दुकानदार श्री महेन्द्र सिंह इकतावरपुरा तहसील चिडावा का प्राधिकार पत्र संख्या 347/93, पोसमशीन संख्या 10824 का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। वक्त जांच उचित मूल्य दुकान के बाहर स्टॉक व मूल्य सूची का प्रदर्शन करना नही पाया गया। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा स्टॉक रजिस्टर दिनांक 02.02.2021 तक ही संधारण करना पाया गया जिसके कारण स्टॉक की गणना उचित मूल्य दुकान की पोस मशीन संख्या 10824 में दर्ज स्टॉक के आधार पर की गई। वक्त जांच पोस मशीन संख्या 10824 में दर्ज गेहूं से भौतिक सत्यापन मे 2444 किलोग्राम गेहूं अधिक पाया गया। जिसके बारे मे पूछने पर श्री नरेश सिंह द्वारा कोई संतोषजनक जबाब नही दिया गया। उक्त गेहूं उचित मूल्य दुकान मे अवैध भण्डारण की श्रेणी में आता है। कोई भी उपभोक्ता राशन कार्ड मे प्रविष्टि कराने व पोश मशीन पर अंगूठा लगाने के बाद दुकान पर राशन सामग्री छोडकर नही जाता है। अप्रार्थी द्वारा उपभोक्ताओं की प्रस्तुत सूची फर्जी व झूठी है। इस प्रकार उचित मूल्य दुकानदार द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के तहत प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2, 5, 8, 11 एवं 17 (ग) का स्पष्ट उल्लघंन किया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उपर्युक्त 2444 किलोग्राम गेहूं मय वारदाना को आवश्यक वस्तुअधिनियम 1955 की धारा 6ए के अन्तर्गत राजसात करने का कष्ट करें।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी ने जी0एल0आर 1995 पृष्ठ संख्या 288 एवं ए0आई0आर0 1994 एस0सी0 पृष्ठ संख्या 2663 की नजीरों की ओर ध्यान आकर्षिक किया तथा विभागीय पैरोकार के कथनों का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी की कोई शिकायत नही है। दिनांक 07.03.2021 को अप्रार्थी बीमार होने से अस्पताल चिकित्सक को दिखाने अस्पताल गया हुआ था एवं अपने पुत्र को दुकान पर केवल देखभाल के लिए छोडकर गया था। दुकान [illegible] क्षण उचित रूप से नही किया गया है क्योंकि अप्रार्थी उस वक्त दुकान पर [illegible] के बारे मे किसी प्रकार की कोई सूचना या नोटिस नही दिया गया है। अप्रार्थी को स्टॉक एवं वितरण के बारे मे कुछ नही जानता है। अप्रार्थी द्वारा कोई गेहूं ब्लेक नही किया गया है। अप्रार्थी की दुकान पर उपभोक्ताओं का वितरित गेहूं पडा हुआ था जिसकी सूची प्रस्तुत है। उक्त अधिक गेहूं उपभोक्ता पोश मशीन पर अंगूठा लगाकर एवं राशनकार्ड में प्रविष्टि करवाकर छोडकर लावणी करने हेतु चले गये थे। वक्त जांच स्वतंत्र गवाहों से पूछताछ नही की गई। अप्रार्थी के राशन वितरण से ग्रामवासी एवं सरपंच संतुष्ट है। प्रकरण में छोटी तकनीकि गलती की इतनी बडी सजा अप्रार्थी को नही दी सकती है। अप्रार्थी ने कोई गबन नही किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाकर अप्रार्थी के विरूद्व की जा रही कार्यवाही को ड्रोप फरमाया जावे तथा प्रार्थी द्वारा जप्त शुदामाल अप्रार्थी को अतिशीघ्र दिये जाने का आदेश फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.08.18 10:43:49 IST
Reason: SelfAttested

(79)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया तथा वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीरों का भी मनन किया। प्रकरण में प्रवर्तन निरीक्षक चिड़ावा द्वारा दिनांक 07.03.2021 को अप्रार्थी महेन्द्र सिहं उचित मूल्य दुकानदार इकतावरपुरा के निरीक्षण के दौरान स्टोक में 2444 किलोग्राम गेहूं अधिक पाये जाने पर गेहूं को जप्त किया गया है। जिसके संबंध में उभय पक्ष के मुख्य तर्क निम्न प्रकार रहे है यथा :–

1. अप्रार्थी का प्रथम तर्क यह रहा है कि दिनांक 07.03.2021 को उसका स्वास्थ्य खराब होने से वह अपने पुत्र को दुकान की देखरेख करने हेतु छोड़कर गया था, जिसे दुकानदारी का ज्ञान नहीं है। अप्रार्थी की अनुपस्थिति में निरीक्षण किया गया है। अप्रार्थी ने अपने इस तर्क के संबंध में कोई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है।
2. अप्रार्थी का दुसरा तथा मुख्य तर्क यह रहा है कि जप्त 2444 किलोग्राम गेहूं उपभोकतओं के गेहूं है जो पोस मशीन में अंगुठा लगाकर लावणी करने हेतु चले गये थे, जिससे भौतिक सत्यापन में उक्त जप्त 2444 किलोग्राम गेहूं अधिक पाये गये है। इसके समर्थन में अप्रार्थी द्वारा सरपंच व उपभोक्तओं की अनापति तथा नजीरें प्रस्तुत की है। प्रस्तुत नजीर AIR 1994 Sc 2663 के अनुसार '' Essentil Commodities Act, (10 of 1955), s.6A – Confiscation of essential commqdity – power vest in collector – to be reasonably and fairly exercised – Every contravention of act does not entail confiscation.'' यहां प्रार्थी द्वारा 2444 गेहूं की जप्ती इसलिए की गई है जिससे उसकी कालाबाजारी नहीं की जा सकें, जिससे अप्रार्थी की नजीर यहां चस्पा नहीं होती है। इसके विरूद्ध प्रार्थी का इस संबंध में तर्क यह रहा है कि उपभोक्ता डीलर से गेहूं लेने गया है तो वह गेहूं वहीं छोडकर नहीं जाता है, ऐसा संभव नहीं है क्योकिं उपभोगता गेहूं प्राप्त करते समय ही पोश मशीन पर अंगुठा लगाता है। हम यहां प्रार्थी पैरोकार के तर्क से सहमत है क्योंकि यदि कोई उपभोक्ता गेहूं लेने डीलर के पास गया है तो वह केवल अंगुठा लगा कर बिना गेहूं प्राप्त किये वहां से चला जावे यह तर्क स्वीकार्य नहीं है।
3. साथ ही अप्रार्थी द्वारा उपभोक्ताओं की अनापति की जो सूची प्रस्तुत की गई है उसके संबंध में विभागीय पैरोकार का तर्क यह है कि उक्त सूची निरीक्षण दिनांक 07.03.2021 के बाद तैयार की गई है तथा सूची में अंकित काफी उपभोगताओं द्वारा निरीक्षण के समय गेहूं प्राप्त करने का अंकन पोश मशीन में नहीं था। विभागीय पैरोकार के उक्त तर्क के प्रतिरोध में अप्रार्थी ने न्यायालय के समक्ष कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया है। उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम निस्तारण किया जाता है। चुंकि जप्त की गई खाद्य सामग्री जल्द खराब होने वाली है ऐसे में ... को निर्देशित किया जाता है जप्त की गई खाद्य सामग्री का शीघ्र नियमानुसार ... करें। आदेश की प्रति अदालत मातहत को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर ... की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.08.18 10:43:49 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 26.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/07/21

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं